न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- मगिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:- 220 / 2024

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

वादीगण

1. स्व0 अर्जुनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत निवासी रायराकलां खुर्द के का0मु0
   1/1 धनैसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
   1/2 हेमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
2. स्व0 पदमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत निवासी रायराकलां खुर्द के का0मु0
   2/1 तुलछसिंह पुत्र पदमसिंह
   2/2 स्व0 पुनमसिंह पुत्र पदमसिंह के का0मु0
   2/2/1 सोहनी पत्नी पुनमसिंह
   2/2/2 महेन्द्रसिंह
   2/2/3 हरीसिंह
   2/2/4 भगवानसिंह
   2/2/5 कैलाश
   2/2/6 इन्द्रा
   2/2/7 ममता
   2/2/8 रेखा
   2/2/9 सोना पिसरान स्व0 पुनमसिंह जातिगण रावत निवासीगण रायराकलां खुर्द तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. स्व0 भोजासिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत निवासी रायराकलां खुर्द के का0मु0
   3/1 दीपसिंह पुत्र भोजासिंह
   3/2 स्व0 मानसिंह पुत्र स्व0 भोजासिंह के का0मु0
   3/2/1 सोहनी पत्नि मानसिंह
   3/2/2 सोहनसिंह
   3/2/3 नेनूसिंह
   3/2/4 जवानसिंह
   3/2/5 संग्रामसिंह
   3/2/6 विरेन्द्रसिंह
   3/2/7 निमा
   3/2/8 पुष्पा
   3/2/9 जसोदा पिसरान स्व0 मानसिंह जातिगण रावत निवासीगण रायराकलां खुर्द तह0

प्रतिवादीगण

1. नारायणसिंह पुत्र भैरूसिंह
2. राजूसिंह पुत्र भैरूसिंह जातिगण रावत निवासीगण रायराकलां खुर्द तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. श्री कुन्दनमल अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01, 02 स्वयं उपस्थित।

दिनांक :– 21/07/25

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रायराकलां खुर्द पटवार हल्का खोडीया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 574 में स्थित खसरा नम्बर 2630 रकदा 2.8200 हैक्टर, खसरा नम्बर 2631 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2633 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2635 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2636 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 2637 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2638 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरूर नम्बर 2641 रकबा 3.4400 हैक्टर कुल खसरा 10 कुल रकबा 7.6900 हैक्टर की भूमि आई हुई स्थित हैं, जो कृषि भूमि पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज अर्जुनसिंह, खींवसिंह, पदमसिंह, भोजासिंह पिसरान उदयसिंह की हक हकुक खातेदारी की स्थित थी जिसमें से वादीगण अर्जुनसिंह, पदमसिंह, भोजासिंह के वारिसान हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खीवंसिंह पुत्र उदयसिंह के पुत्र भैरूसिंह जिनका स्वर्गवास हो चुका है के वारिसान है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से खसरा संख्या 2630 का रकबा सेटलमेन्ट पूर्व की जमाबन्दी व खसरा मिलान व पर्चा खतौनी संख्या 243 में खसरा नंबर 2630 का रकबा 3.3000 हैक्टर दर्ज था, जिसे कि वक्त सैटलमेंट सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से उक्त खसरा नम्बर 2630 का रकबा 3.3000 हैक्टर में से 0.4800 हैक्टर भूमि कम कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज खींवसिंह के नाम दर्ज कर दी तथा उक्त कम किये गये रकबा 0.4800 हैक्टर की भूमि को प्रतिवादीगण के पूर्वज खीवंसिंह को आंवटन की गई भूमि के खसरा नम्बर 2630/2711 की भूमि में सम्मिलित कर अधिक दर्ज कर दी गई। वादपत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 2630 रकबा 3.3000 हैक्टर की कृषि भूमि सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नम्बर 1123 मीन से मिलकर बना है तथा खसरा नम्बर 1123 का रकबा बहुत अधिक था तथा उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के दादा स्वर्गीय खींवसिंह जो कि भारतीय सैना में थे जिनको उक्त खसरा नम्बर 1123 की भूमि में से भारतीय सैना में होने से 15 बीघा भूमि आवंटित की गई जो कि खसरा नम्बर 1123 गैर मुमकिन भाकर में से आंवटित की गई जो कि उक्त खसरा संख्या 2630 रकबा 3.3000 हैक्टर से अन्य हक हिस्सा था जो आंवटन किया गया लेकिन सैटलमेन्ट, भू–प्रबंध अधिकारीयों द्वारा उक्त खसरा संख्या 2630 रकबा 3.3000 हैक्टर की भूमि जो कि सभी के नाम दर्ज थी जिसमें सभी का हिस्सा बराबर बराबर निहित था, उक्त भूमि में से त्रुटिवश अन्य आवटन भूमि में से आवंटन किये गये हक हिस्से की भूमि को उक्त खसरा संख्या 2630 में से 0.4800 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज कर दी जबकि खसरा संख्या 2630 में से सेटलमेन्ट अधिकारीयों को किसी भी प्रकार से रकबा कम दर्ज कर प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 2630 प्रतिवादीगज के पूर्वज को आंवटित नहीं हुई थी जबकि इसमें सभी का हिस्सा सम्मिलित था तथा उक्त खातेदारी भूमि में से 0.4800 हैक्टर भूमि कताई

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कानून्न आवंटन नहीं की जा सकती, जिसके पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात प्रतिवादीगण के पूर्वज के स्वर्गवास पश्चात प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली रही जिसकी वादीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि वादीगण ग्रामीण परीवेश के व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड के जानकारी नहीं थी तथा मौके पर भी सभी का उक्त खसरा संख्या 2630 रकबा 3.3000 हैक्टर में 1/4–1/4 हक हिस्से पर उपयोग उपयोग निरन्तर चला रहा तथा आज भी मौके पर अर्जुनसिंह, खींवसिंह, पदमसिंह, भोजासिंह के वारिसान का 1/4–1/4 हक हिस्से पर ही कब्जा काश्त उपयोग उपगोग चला आ रहा है जिस बाबत् कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उज्र एतराज नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत कर माफिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि ग्राम रायराकलां खुर्द के खसरा नम्बर 2630 रकबा 3.3000 हैक्टर भूमि में से 0.4800 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज के नाम दर्ज कर खसरा नम्बर 2630/2711 रकबा 1.9800 हैक्टर में सम्मिलित कर दी जिसमें से वादीगण पुनः उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 2630/2711 में अधिक दर्ज की गई भूमि रकबा 0.4800 हैक्टर में से वादीगण संख्या 1 से 3 के वारिसान संयुक्त रूप से 1/4–1/4–1/4 यानि 0.1200, 0.1200, 1200 हैक्टर हक हिस्से अनुसार रकबा कम करवाकर खातेदारी घोषणा, करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रति सं0 01 से 03 की ओर इकबालिया जवाब दावा पेश कर माफिक ईश्तदुआ अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई उज्र एतराज नहीं होना जाहिर किया हैं।

बहस अधिवक्ता वादीगण एवं प्रति सं0 01, 02 सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वक्त सैटलमेंट सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से उक्त खसरा नम्बर 2630 का रकबा 3.3000 हैक्टर में से 0.4800 हैक्टर भूमि कम कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज खींवसिंह के नाम दर्ज कर दी तथा उक्त कम किये गये रकबा 0.4800 हैक्टर की भूमि को प्रतिवादीगण के पूर्वज खींवसिंह को आंवटन की गई भूमि के खसरा नम्बर 2630/2711 की भूमि में सम्मिलित कर अधिक दर्ज कर दी गई। जिसमें से वादीगण पुनः उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 2630/2711 में अधिक दर्ज की गई भूमि रकबा 0.4800 हैक्टर में से वादीगण संख्या 1 से 3 के वारिसान संयुक्त रूप से 1/4–1/4–1/4 यानि 0.1200, 0.1200, 0.1200 हैक्टर हक हिस्से अनुसार रकबा कम करवाकर खातेदारी घोषणा करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में प्रति सं0 01 व 02 द्वारा माफिक ईश्तदुआ अनुसार वादीगण का वाद डिकी किये जाने पर कोई उज्र एतराज नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रति सं0 01 व 02 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा खसरा नम्बर 2630 का रकबा 3.3000 हैक्टर में से 0.4800 हैक्टर भूमि कम कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज खींवसिंह के नाम दर्ज कर दी तथा उक्त कम किये गये रकबा 0.4800 हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

की भूमि को प्रतिवादीगण के पूर्वज खींवसिंह को आंवटन की गई भूमि के खसरा नम्बर 2630/2711 की भूमि में सम्मिलित कर अधिक दर्ज कर दी गई। जिसकी संपुष्टि हेतु ग्राम रायरा कलां खुर्द के खसरा मिलान का अवलोकन करने पर उसमें दर्ज ख0नं0 2630/2711 रकबा 1.50 है0 से संशोधित कर 1.98 है0 किया गया तथा जिसके विशेष विवरण में ख0नं0 2630 में से 0.48 है0 रकबा आया ऐलोट कम होने पर दर्ज किया का नोट अंकित पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि ख0नं0 2630 रकबा 3.30 है0 की कृषि भूमि अर्जुनसिंह, भोजसिंह, खींवसिंह, पदमसिंह पि0 उदेसिंह जाति रावत सा0 देह हि0 व0 खातेदार की दर्ज सुदा थी, सैटलमेंट अधिकारियों को खातेदारी कृषि भूमि से रकबा कम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। लिहाजा ख0नं0 2630/2711 में से 0.48 है0 रकबा कम कर पुनः ख0नं0 2630 में जोड़ा जाने तथा रकबा 0.48 है0 में वादीगण सं0 01 से 03 के वारिसान तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर होने से 1/4-1/4-1/4-1/4 हक हिस्सा अर्थात् 0.12 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

--: आदेश :--

अतः अधिवक्ता मय वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम रायराकलां खुर्द पटवार हल्का खोडीया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत के ख0नं0 2630/2711 रकबा 1.98 है0 में से 0.48 है0 रकबा कम कर पुनः ख0नं0 2630 रकबा 2.82 है0 में जोड़ा जाकर तथा रकबा 0.48 है0 में वादीगण सं0 01 से 03 के वारिसान तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर होने से 1/4-1/4-1/4-1/4 हक हिस्सा अर्थात् 0.12 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 9/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)